रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2009/कार्तिक 25, 1931
No. 661] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2009/KARTIKA 25, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 827(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53छ की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (डग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 में,--

(i) नियम 4 में "उस दशा में जहां सेवारत न्यायधीश" शब्दों के स्थान "उस दशा में जहां उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायधीश या किसी उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) नियम 7 में उपनियम 1 के खंड (i) में,--

(क) "उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश"शब्दों के स्थान पर "उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति" शब्द रखे जाएंगे :--

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

(iii) नियम 10 में,--

(क) "सेवारत न्यायाधीश" शब्दों के स्थान पर "उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) "अध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(iv) नियम 11 में, "अध्यक्ष और सदस्य" शब्दों के स्थान पर "जब उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह यथास्थित, उच्चतम न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा भत्ता का हकदार होगा और अपील अधिकरण के सदस्य" शब्द रखे जाएंगे ।

(v) नियम 13 में, "कोई सदस्य अपने निवास और कार्यालय के बीच परिवहन के लिए अपने व्यैक्तिक कार के उपयोग और अनुरक्षण के लिए समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथा अधिकथित नियम प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे" शब्दों के स्थान पर "कोई सदस्य उन वाहन सुविधाओं के लिए हकदार होगा जो समतुल्य वेतन आहरित कर रहे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के समूह "क" अधिकारी को अनुज्ञेय है" शब्द रखे जाएंगे ।

(vi) नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"14. आवास अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य साधारण पूल निवास स्थान के लिए पात्र होंगे । यदि वे आवास सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते हैं तो वे मकान किराया भत्ता के लिए पात्र होंगे जो समतुल्य वेतन आहरित कर रहे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के समूह "क" अधिकारी को अनुज्ञेय हैं ।"

(vii) नियम 19 में, "अपील अधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे ।" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, अध्यक्ष के मामले में किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति और सदस्य के मामले में केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतन आहरित कर रहे अधिकारी को तत्समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा अवधारित होगा ।" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 5/36/2007-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि.सं0 137(अ) तारीख 27 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 339(अ) तारीख 15 मई, 2009 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2009

G.S.R. 827(E).— In exercise of the powers conferred by clause (mc) of sub-section (2) of section 63 read with sub-section (1) of section 53G of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and other Members) Rules, 2009, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and other Members) Second Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and other Members) Rules, 2009,-

(i) in rule 4, for the words "In case of serving Judge", the words "In case of serving or retired Judge of the Supreme Court or serving or retired Chief Justice of a High Court" shall be substituted;

(ii) in rule 7, in, sub-rule 1 in clause (i),-

(a) for the words "A serving Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court", the words "A serving or retired Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court" shall be substituted;

(b) proviso shall be omitted.

(iii) in rule 10,-

(a) for the words "serving Judge", the words "serving or retired Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court" shall be substituted;

(b) the words "The retired Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of India appointed as the Chairperson and" shall be omitted;

(iv) in rule 11, for the words "The Chairperson", the words "When a serving or retired Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court is appointed as Chairperson, he shall be entitled to Leave Travel Concession as is admissible to a serving Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court, as the case may be;" shall be substituted;

(v) in rule 13, for the words "A Member would be eligible for a fixed reimbursement for the use and maintenance of his personal car for transportation between residence and office as laid down by Department of Personnel and Training from time to time", the words "A Member shall be entitled for conveyance facilities as are admissible to Group 'A' officer of the Central Government or State Government drawing an equivalent pay" shall be substituted;

(vi) for rule 14, the following shall be substituted, namely:-

"14. Accommodation.- The Chairperson and Members of the Appellate Tribunal shall be entitled for General Pool Residential Accommodation. If they do not avail the accommodation facilities, they shall be entitled for House Rent Allowance as is admissible to Group 'A' officer of the Central Government or State Government drawing an equivalent pay.".

(vii) in rule 19, for the words "shall be referred by the Appellate Tribunal to the Central Government for its decision", the words "shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a serving Judge or Chief Justice of a High Court as the case may be in the case of Chairperson and officer drawing an equivalent pay in the Central Government in case of Member" shall be substituted.

[F. No. 5/36/2007-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of Indian, Extraordinary vide number G.S.R. 137(E), dated 27th February, 2009 and amended vide G.S.R.339(E), dated 15th May, 2009.

4158 GI/09-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.